गोरधनसिंह पुत्र कानसिंह राजपुरोहित निवासी गांव घेवड़ा तहसील तिंवरी व अन्य बनाम **नेमसिंह पुत्र आईदानसिंह राजपुरोहित निवासी गांव घेवड़ा तहसील तिवंरी व अन्य**

किस्म मुकदमा **235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** नम्बर **136** सन् **2020**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.20	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता इत्तला बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी–1 के अधिवक्ता श्री चैनसिंह राजपुरोहित उपस्थित। प्रार्थीपक्ष इत्तला बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः बहस सुनी जाय। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीपक्ष प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध रास्ता कायम करने हेतु उपखण्ड अधिकारी औसियां के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया हुआ, जो विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में कहा कि पूर्व में उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा तहसीलदार तिंवरी पर अनुचित दबाव डालकर प्रार्थीगण के खेत में से बिना कार्यवाही व आदेश के रास्ता कायम कर दिया गया अब उक्त भूमि को प्रार्थीगण की खातेदारी में कम कर कटाण करने के लिए अप्रार्थी नेमसिंह द्वारा 251ए की कार्यवाही पेश की गई अतः उपखण्ड अधिकारी प्रार्थीगण के साथ निष्पक्ष नहीं है। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया कि गांव के राजनैतिक गुटबाजी के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी औसियां पर अप्रार्थी द्वारा राजैनैतिक दबाव बनाया हुआ इसलिए तुरन्त में वैधानिक कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए भेदभावपूर्ण तरीके से कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व व प्रार्थीगण को नोटिस तामील होने से पूर्व मौका रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है अतः अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से नहीं लगातार...	

सुनी जा रही है। प्रार्थना पत्र में यह भी कहा कि विवादित स्थान पर रास्ते के विवाद को लेकर एक अपील पूर्व से ही अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर न्यायालय में विचाराधीन है एवं धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि जब एक से अधिक प्रकरण समान प्रश्नों के निर्धारण के लिए विचाराधीन है तो उन सभी प्रकरणों का विचारण समेकित रूप से किया जाना आवश्यक है अन्त में उपखण्ड अधिकारी औसियां न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 443/20 नेमसिंह बनाम गोरधनसिंह वगैरा को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय को मुंतकिल करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी नेमसिंह को खेत में आने जाने का रास्ता रोका गया तो तहसीलदार तिवरी के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कदीमी रास्ता खोलने का पेश किया गया जिस पर तहसीलदार तिंवरी ने रास्ता खोलने का आदेश दिनांक 07.09.2020 को दिया गया। प्रार्थीगण ने तहसीलदार तिवरी के आदेश के विरूद्ध अपर जिला कलक्टर द्वितीय, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई जो भी निस्तारित हो चुकी है तथा आदेश में सक्षम न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निर्णय अथवा रास्ता घोषित किए जाने कि दशा में कियान्विति तक अपीलाधीन आदेश बदस्तूर रहेगा, लिखा गया। अतः प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि विवादित स्थान पर रास्ते को लेकर अपर जिला कलक्टर द्वितीय, जोधपुर न्यायालय में अपील विचाराधीन है। बहस में आगे कहा कि प्रार्थीगण ने अभी तक उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष लम्बित प्रकरण में जबाब भी पेश नहीं किया गया तथा अप्रार्थी को अनावश्यक परेशान करने के लिए प्रकरण को लम्बित करना चाहता है। अतः प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण/याचिकरण के दिनांक 11.09.2020 को प्रार्थना पत्र अ/धा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया था। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस

लगातार....

14.12.20	तलब किया जाकर तहसीलदार तिवरी की ओर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण/प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 25.09.2020 को वकालतनामा पेश किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से जबाब हेतु अवसर चाहा गया जिस पर न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि पत्रावली वर्तमान में अन्य अप्रार्थीगण की तलबी एवं जबाब हेतु दिनांक 26.10.20 को मुकर्र है जिसमें याचिगण अधिवक्ता द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी के मध्य ग्राम घेवड़ा के ख.नं 555/1 व .560/1 में चलने वाले कदीमी रास्ते चालू करने का आदेश होने के पश्चात् धारा 251ए, RTA के तहत रास्ता दिलाने का विवाद विचाराधीन है। तहसीलदार तिवरी ने दिनांक 07.09.20 को ख.नं. 555/1 व 560/1 में चलने वाले बन्द कदीमी रास्ता को खुलवाने का आदेश दिया गया। चूंकि अब इसी भूमि पर रास्ते को कायम करने हेतु उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष प्रकरण (443/2020) विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण में अभी तक प्रार्थीगण गोरधनसिंह वगैरा द्वारा जबाब पेश भी नहीं किया गया, न सभी अप्रार्थीपक्ष की तामील हुई है अतः इस स्टेज पर प्रार्थीपक्ष का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय नहीं मिलने या पक्षपात कार्यवाही करने का अंदेशा है तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा उक्त प्रकरण को सुनवाई के लिए अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने के जो कारण बतलाये गये वे ठोस तथ्यों के आधार पर नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पीठासीन अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मतः सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करे। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी औसियां को पालनार्थ प्रेषित हो।